

दखलंदाजी नहीं करें। तथा भूमि को रहन बैय आदि द्वारा मुन्तकिल करने से बाज व मुनन रहें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की मद सं० 1 स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद सं० 2 स्वीकार है। चक 51 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता सं० 74/73 के मुरबा नं० 28 में 1.189 है० व खाता सं० 13/12 के मुरबा नं० 12 में 1.771 है०, खाता सं० 55/49 के मुरबा नं० 19 में 2.681 है०, खाता सं० 47/42 के मुरबा नं० 22, 26, 33 में 10.348 है० में से 1/3 हिस्सा यानि 3.449 है०, खाता सं० 14/13 के मुरबा नं० 20 में 0.463 है० कुल 9.553 है० भूमि वादी के पिता अमृतपाल सिंह पुत्र हसंराज जाति जटसिख निवासी 51 जीजी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज कागजात है। वाद गत की मद सं० 3 स्वीकार है। चक 51 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता सं० 74/73 के मुरबा नं० 28 में 1.189 है० व खाता सं० 13/12 के मुरबा नं० 12 में 1.771 है०, खाता सं० 55/49 के मुरबा नं० 19 में 2.681 है०, खाता सं० 47/42 के मुरबा नं० 22, 26, 33 में 10.348 है० में से 1/3 हिस्सा यानि 3.449 है०, खाता सं० 14/13 के मुरबा नं० 20 में 0.463 है० कुल 9.553 है० भूमि वादी के पिता अमृतपाल सिंह पुत्र श्री हसंराज के नाम से दर्ज है उक्त भूमि प्रतिवादी को अपने पिता हसंराज सिंह से विरास्तन प्राप्त हुई है। जो कि प्रतिवादी सं० 1 के पिता हसंराज सिंह द्वारा खरीद करके प्रतिवादी सं० 1 के नाम से दर्ज करवाई गई है। वाद पत्र की मद सं० 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्वीकार है व वाद पत्र की मद सं० 10, 11 कानूनी है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि चक 51 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता सं० 74/73 के मुरबा नं० 28 में 1.189 है० व खाता सं० 13/12 के मुरबा नं० 12 में 1.771 है०, खाता सं० 55/49 के मुरबा नं० 19 में 2.681 है०, खाता सं० 47/42 के मुरबा नं० 22, 26, 33 में 10.348 है० में से 1/3 हिस्सा यानि 3.449 है०, खाता सं० 14/13 के मुरबा नं० 20 में 0.463 है० कुल 9.553 है० भूमि में से वादी पिता के साथ बतौर पुत्र 1/3 हिस्सा यानि 3.317 है० भूमि की घोषणा की जाकर खातेदार मालिक घोषित किया जाकर दावा डिक्री किया जावे। हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। हम प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत है इसी अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा

अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद



200
सुभाष कुमार
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)